बनाम

अप्रार्थीः– तहसीलदार तिंवरी

उपस्थित –

प्रार्थी की ओर से – अधिवक्ता श्री घेवरराम विश्नोई

अप्रार्थी की ओर से – सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

–::निर्णय::–

दिनांकः– 19/1/21

प्रार्थीया द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थीया व अन्य खातेदारान की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 119/2 रकबा 19 बीघा 03 बिस्वा मौजा उम्मेदनगर तहसील तिंवरी, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई हैं। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम दर्ज करते वक्त राजस्व कर्मचारियों की भूलवश राजेन्द्र कंवर दर्ज कर दिया गया जो गलत है। लेकिन प्रार्थीया का वास्तविक नाम राजेश्वरी कंवर है। प्रार्थीया के तमाम दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड इत्यादि दस्तावेज में राजेश्वरी कंवर दर्ज हैं। उक्त राजस्व रेकर्ड में उक्त त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थीया को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। उक्त राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया के नाम की त्रुटि बाबत् हल्का पटवारी व तहसीलदार तिंवरी को निवेदन किया लेकिन उन्होंने त्रुटि सुधारने से इन्कार कर दिया और कहा कि उक्त त्रुटि सुधारने बाबत् उपखण्ड अधिकारी ओसियां से आदेश लेना आवश्यक हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम उम्मेदनगर की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 119/2 रकबा 19 बीघा 03 बिस्वा, के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम राजेन्द्रकंवर दर्ज जो गलत है इसके स्थान पर वास्तविक नाम

Scanned with CamScanner

राजेश्वरी कंवर दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

प्रार्थीया का उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें प्रार्थीया का नाम राजस्व रेकर्ड में राजेन्द्र कंवर के स्थान राजेश्वरी कंवर दर्ज किये जाने की अनुशंषा की।

प्रार्थीया अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीया का सही नाम राजेश्वरी कंवर है जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है, इसलिए प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

–::आदेश::–

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 119/2 रकबा 19 बीघा 03 बिस्वा ग्राम उम्मेदनगर, तहसील तिंवरी के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीया का नाम राजेन्द्र कंवर के स्थान पर राजेश्वरी कंवर दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार तिंवरी को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 19/1/21 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner